KGS IAS

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

Most Trusted Learning Platform

CURRENT AFFAIRS DISCUSSION

❖ General Consent to CBI

❑ What is CBI?

- A body established through the resolution of Central Government under the provisions of Delhi Special Police Establishment Act, 1946
- It is the main investigating agency of the Central Government.
- It investigates crime of corruption, economic offences and serious and organized crime other than terrorism
- Appointment by Central government on the recommendation of a three-member committee consisting of the Prime Minister as Chairperson, the Leader of Opposition in the Lok Sabha and the Chief Justice of India or Judge of the Supreme Court nominated by him.

❖ सी.बी.आई. के लिए सामान्य सहमति

❑ सीबीआई क्या है?

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के संकल्प के माध्यम से स्थापित एक निकाय
- यह केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है।
- यह आतंकवाद के अलावा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर और संगठित अपराध की जांच करता है
- केंद्र सरकार द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नियुक्ति, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।

- **Section 4B of the DSPE Act provides that persons appointed as directors under it shall "continue to hold office for a period of not less than two years from the date on which he assumes office".**
- **Recent Move: The Centre has come up with ordinances that allow it to award an extension of up to a maximum of three years to the CBI and ED chiefs after the completion of their normal run of two years in office.**
- **The CBI functions under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions of the central government, and is exempted from the purview of the Right to Information (RTI) Act largely, however, in various cases, it has to give information as per the orders of the judiciary.**

- डीएसपीई अधिनियम की धारा 4बी में प्रावधान है कि इसके तहत निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति "कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से कम से कम दो साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे"।
- **हालिया कदम:** केंद्र ऐसे अध्यादेश लेकर आया है जो उसे कार्यालय में दो साल की सामान्य अवधि पूरी होने के बाद सीबीआई और ईडी प्रमुखों को अधिकतम तीन साल तक का विस्तार देने की अनुमति देता है।
- सीबीआई केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करती है, और इसे सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे से काफी हद तक छूट दी गई है, हालांकि, विभिन्न मामलों में, इसे आदेशों के अनुसार जानकारी देनी होती है। न्यायपालिका का.

❑ Why Does CBI need consent?

- The CBI is governed by the Delhi Special Police Establishment Act (DPSEA). This law makes the CBI a special wing of Delhi Police and thus its original jurisdiction is limited to Delhi.
- For other matters, the CBI needs the consent of the state government in whose territorial jurisdiction, the CBI has to conduct an investigation. This is unlike other central government agencies, for example, the National Investigation Agency (NIA), which by law, enjoys an all-India jurisdiction.
- There are two types of consent for a probe by the CBI. These are: general and specific.

❑ सीबीआई को सहमति की आवश्यकता क्यों है?

- सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (डीपीएसईए) द्वारा शासित है। यह कानून सीबीआई को दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा बनाता है और इस प्रकार इसका मूल अधिकार क्षेत्र दिल्ली तक ही सीमित है।

- अन्य मामलों के लिए, सीबीआई को उस राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में, सीबीआई को जांच करनी होती है। यह अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के विपरीत है, उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), जिसे कानून के अनुसार अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

- सीबीआई द्वारा जांच के लिए दो प्रकार की सहमति होती है। ये हैं: सामान्य और विशिष्ट.

- **When a state gives general consent to the CBI for probing a case, the agency is not required to seek fresh permission every time it enters that state in connection with investigation or for every case.**
- **When general consent is withdrawn, CBI needs to seek case-wise consent for investigation from the concerned state government. If specific consent is not granted, the CBI officials will not have the power of police personnel when they enter that state**

When Can CBI investigate?

- **The central government can authorize CBI to investigate such a crime in a state but only with the consent of the concerned state government.**
- **The Supreme Court and High Courts, however, can order CBI to investigate such a crime anywhere in the country without the consent of the state."**

- जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देता है, तो एजेंसी को हर बार जांच के सिलसिले में या हर मामले के लिए उस राज्य में प्रवेश करने पर नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- जब सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए मामले-वार सहमति लेने की आवश्यकता होती है। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है, तो उस राज्य में प्रवेश करने पर सीबीआई अधिकारियों के पास पुलिस कर्मियों की शक्ति नहीं होगी

कब कर सकती है सीबीआई जांच?

- केंद्र सरकार किसी राज्य में ऐसे अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है लेकिन केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी ऐसे अपराध की जांच करने का आदेश सीबीआई को दे सकते हैं।
- इसके अलावा, सामान्य सहमति होने पर दर्ज किए गए पुराने मामलों की भी सीबीआई जांच करेगी।

- **Also, The CBI would investigate old cases registered when general consent existed.**
- **At the same time, cases registered anywhere else in the country, but involving people stationed in states which have withdrawn consent, would allow CBI's jurisdiction to extend to these states.**

❖ Lightweight Payment System

- **Context: The Reserve Bank of India (RBI) has conceptualised a lightweight payment and settlements system, which it is calling a "bunker" equivalent of digital payments, which can be operated from anywhere by a bare minimum staff in exigencies such as natural calamities or war.**
- **The lightweight and portable payment system is expected to operate on minimalistic hardware and software, and would be made active only on a "need basis**
- **The infrastructure for this system will be independent of the technologies that underlie the existing systems of payments such as UPI, NEFT, and RTGS.**
- **The system is expected to process transactions that are critical to ensure the stability of the economy, including government and market related transactions.**

❖ हल्की भुगतान प्रणाली

- संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली की संकल्पना की है, जिसे वह डिजिटल भुगतान के बराबर "बंकर" कह रहा है, जिसे प्राकृतिक आपदाओं या जैसी मांगों में न्यूनतम कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। युद्ध।
- हल्के और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली के न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर संचालित होने की उम्मीद है, और इसे केवल "आवश्यकता" के आधार पर सक्रिय किया जाएगा।
- इस प्रणाली का बुनियादी ढांचा उन प्रौद्योगिकियों से स्वतंत्र होगा जो यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी भुगतान की मौजूदा प्रणालियों का आधार हैं।
- यह प्रणाली उन प्रक्रिया लेनदेन से संबंधित होने की उम्मीद है जो सरकार और बाजार लेनदेन सहित अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- यह भुगतान प्रणालियों में एक बंकर के समकक्ष के रूप में कार्य करने की भी संभावना है और इससे चरम स्थितियों के दौरान भी डिजिटल भुगतान और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

- **It is also likely to act as a bunker equivalent in payment systems and thereby enhance public confidence in digital payments and financial market infrastructure even during extreme conditions**

UTKARSH 2.0

- **Launched by RBI for 2023-25**
- **The Vision in Utkarsh 2.0 that will guide the Reserve Bank of India over the period 2023-25 are:**
- **Excellence in performance of its functions;**
- **Strengthened trust of citizens and Institutions in the RBI;**
- **Enhanced relevance and significance in national and global roles;**
- **Transparent, accountable and ethics-driven internal governance;**

❑ उत्कर्ष 2.0

- RBI द्वारा 2023-25 के लिए लॉन्च किया गया
- उत्कर्ष 2.0 में विज़न जो 2023-25 की अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक का मार्गदर्शन करेगा, वे हैं:
- अपने कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता;
- आरबीआई में नागरिकों और संस्थानों का विश्वास मजबूत हुआ;
- राष्ट्रीय और वैश्विक भूमिकाओं में बढ़ी हुई प्रासंगिकता और महत्व;
- पारदर्शी, जवाबदेह और नैतिकता से संचालित आंतरिक शासन;
- सर्वोत्तम श्रेणी और पर्यावरण-अनुकूल डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढाँचा; और
- नवोन्वेषी, गतिशील एवं कुशल मानव संसाधन।

❑ National Bank for Financing Infrastructure & Development

- It has been established under the provisions of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021
- It aims to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing in India including development of bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure.
- It has been set up as a corporate body with an authorized share capital of ₹1 lakh crore, of which ₹20,000 crores has been invested by the central government as equity and ₹5,000 crores as a grant.
- It has the power to raise funds from both domestic and international markets through various instruments, such as bonds, debentures, loans, deposits, and guarantees

❖ बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक

- इसकी स्थापना नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2021 के प्रावधानों के तहत की गई है
- इसका उद्देश्य भारत में दीर्घकालिक गैर-आश्रय बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करना है, जिसमें बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए आवश्यक बांड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास और वित्तपोषण बुनियादी ढांचे के व्यवसाय को आगे बढ़ाना शामिल है।
- इसे ₹1 लाख करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें से ₹20,000 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में और ₹5,000 करोड़ अनुदान के रूप में निवेश किए गए हैं।
- इसमें बांड, डिबेंचर, ऋण, जमा और गारंटी जैसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से धन जुटाने की शक्ति है।

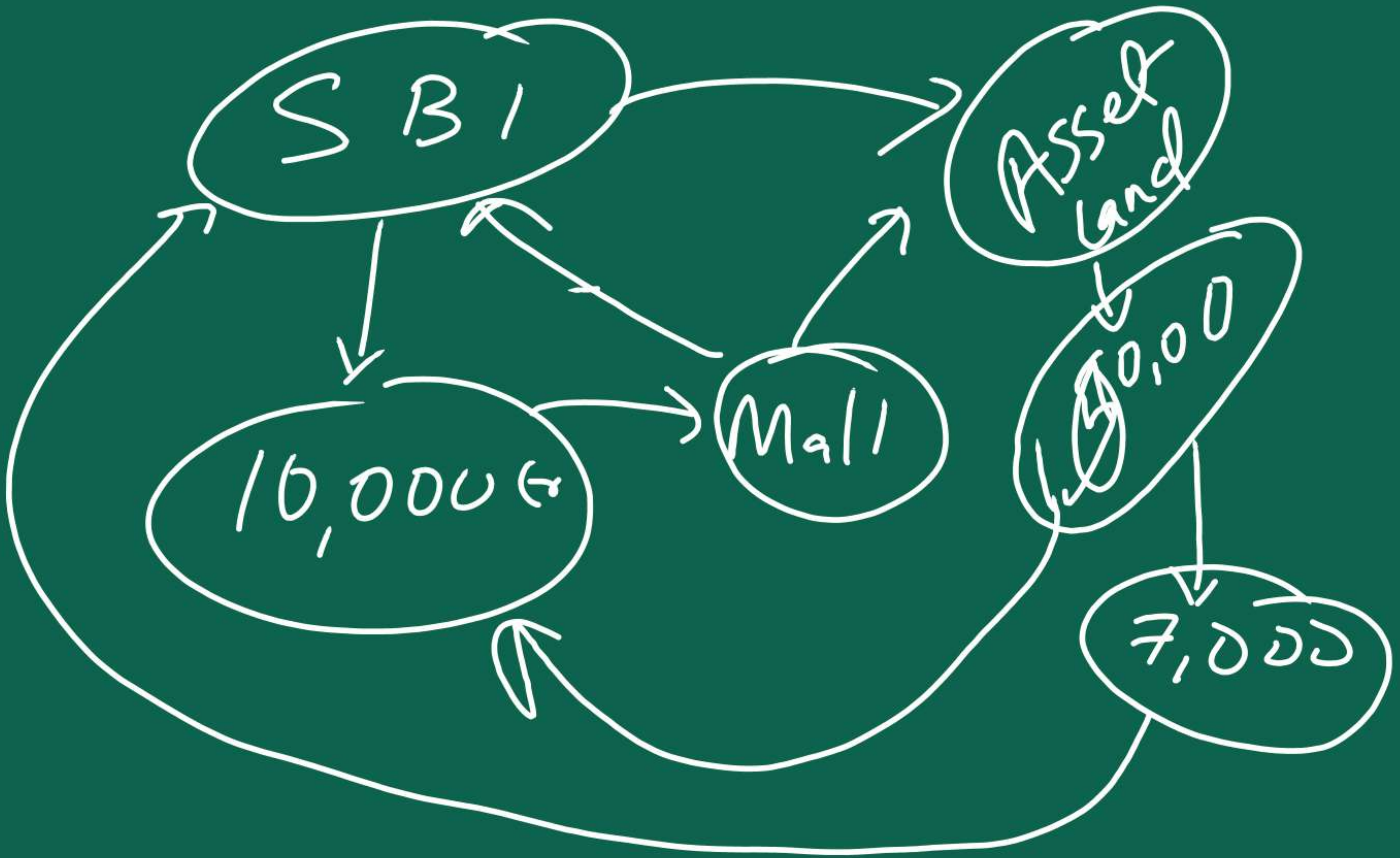
SBI
Asset
land
10,000
Mall
7,000

❑ Functions of NBFID include:

I. extending loans and advances for infrastructure projects,

II. taking over or refinancing such existing loans,

III. attracting investment from private sector investors and institutional investors for infrastructure projects,

IV. organising and facilitating foreign participation in infrastructure projects,

V. facilitating negotiations with various government authorities for dispute resolution in the field of infrastructure financing, and

VI. providing consultancy services in infrastructure financing

❑ एनबीएफआईडी के कार्यों में शामिल हैं:

I. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करना,

II. ऐसे मौजूदा ऋणों को लेना या पुनर्वित्त करना,

III. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करना,

IV. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी का आयोजन और सुविधा प्रदान करना,

V. बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के क्षेत्र में विवाद समाधान के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करना, और

VI. बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करना

❑ Kavach

- The KAVACH is an indigenously developed Automatic Train Protection (ATP) system by the Research Design and Standards Organisation (RDSO) in collaboration with the Indian industry.
- It is meant to provide protection by preventing trains to pass the signal at Red (which marks danger) and avoid collision.
- It activates the train's braking system automatically if the driver fails to control the train as per speed restrictions.
- In addition, it prevents the collision between two locomotives equipped with functional Kavach systems.
- The system also relays SoS messages during emergency situations.

कवच

- कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है।
- इसका उद्देश्य ट्रेनों को लाल सिग्नल (जो खतरे का संकेत है) से गुजरने से रोकना और टकराव से बचाना है।
- यदि ड्राइवर गति प्रतिबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है।
- इसके अलावा, यह कार्यात्मक कवच सिस्टम से लैस दो लोकोमोटिव के बीच टकराव को रोकता है।
- आपातकालीन स्थितियों के दौरान सिस्टम SoS संदेशों को भी रिले करता है।
- एक अतिरिक्त सुविधा नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की गतिविधियों की केंद्रीकृत लाइव निगरानी है।
- 'कवच' सबसे सस्ती, एसआईएल-4 प्रमाणित प्रौद्योगिकियों में से एक है, जहां त्रुटि की संभावना 10,000 वर्षों में 1 है।

TCAS - System configuration

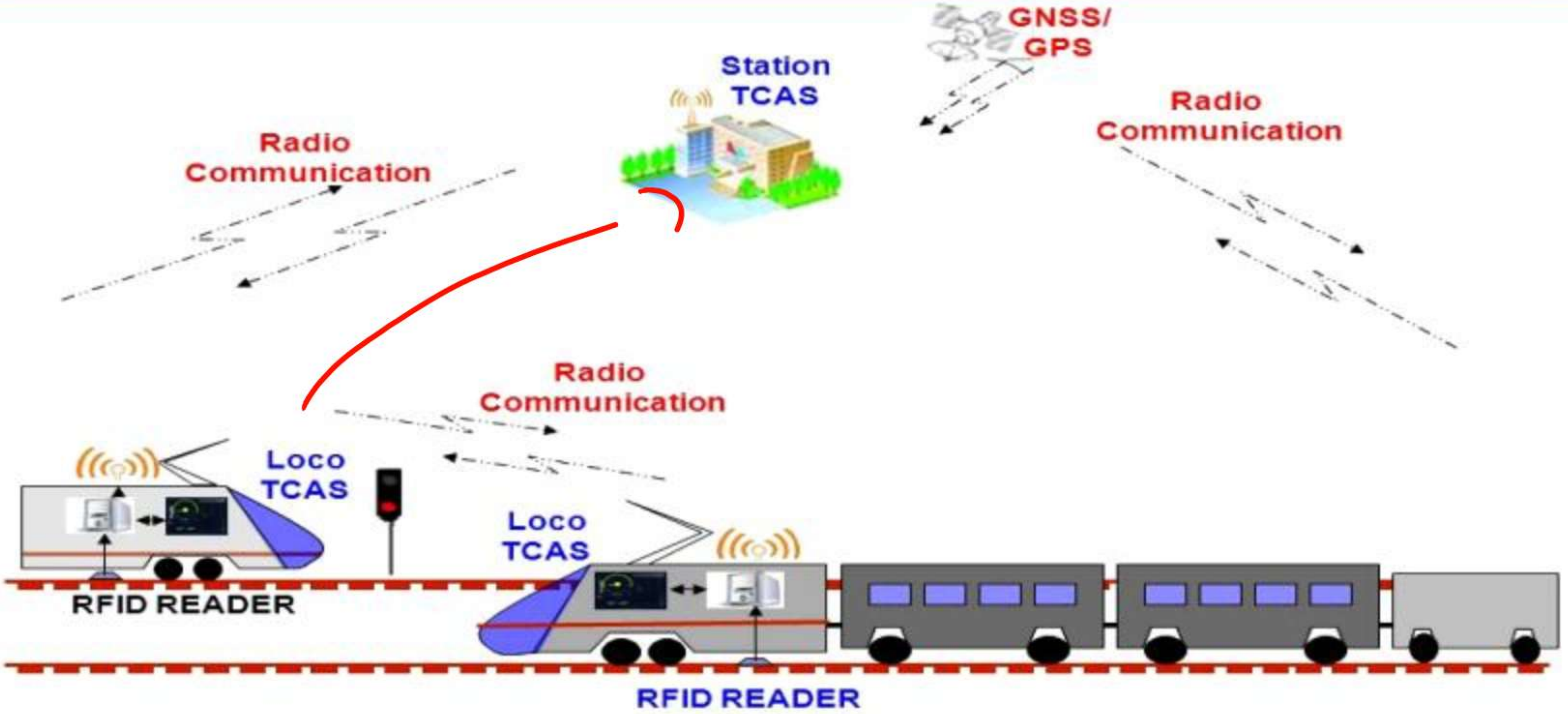

❖ PM SVANidhi Scheme

- PM SVANidhi is a central sector scheme launched by the Ministry of Housing & Urban Affairs
- It aims to provide a working capital (loan) up to Rs 10,000 to a street vendor to resume their business.
- No security is required from the street vendors for the loan.
- The vendors will be encouraged with a monthly cashback in the range of 50-100 in order to promote digital transactions.
- It has been extended till December 2024

❖ पीएम स्वनिधि योजना

- पीएम स्वनिधि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है
- एक स्ट्रीट वेंडर को अपने व्यवसाय को सारांशित करने के लिए 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी (ऋण) प्रदान करना है ।
- ऋण के लिए रेहड़ी-पटरी वालों से कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विक्रेताओं को 50-100 की सीमा में मासिक कैशबैक के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है

features of the scheme?

- The scheme provides a loan of up to 10,000 to street vendors.
- The amount can be repaid in monthly installments in the tenure of 1 year.
- Interest subsidy on timely/early repayment @7%
- Monthly cash-back incentive on digital transactions

Eligibility criteria of the scheme

- All street vendors engaged in vending in urban areas as on or before March 24, 2020, can avail of the loan.

❑ योजना की विशेषताएं?

- यह योजना रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 तक का ऋण प्रदान करती है।
- राशि को 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है।
- समय पर/जल्दी चुकौती पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी
- डिजिटल लेनदेन पर मासिक कैश-बैक प्रोत्साहन
- योजना की पात्रता मानदंड
- 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

❖ Mission on Advanced and High-Impact Research (MAHIR)

- It has been launched Jointly by Ministry of Power and the Ministry of New and Renewable Energy
- It aims to quickly identify emerging technologies in the power sector and develop them indigenously, at scale, for deployment within and outside India.
- The Mission will be funded by pooling financial resources of the Ministry of Power, Ministry of New and Renewable Energy and the Central Public Sector Enterprises under the two Ministries.
- It has been Planned for an initial period of five years from 2023-24 to 2027-28

❖ उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान पर मिशन (MAHIR)

- इसे विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है
- इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान करना और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित करना है।
- मिशन को बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और दोनों मंत्रालयों के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करके वित्त पोषित किया जाएगा।
- इसे 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए योजनाबद्ध किया गया है

UPSC

- **The key objectives of the Mission are as follows:**
- **To identify emerging technologies and areas of future relevance for the Global Power Sector and take up indigenous end-to-end development of relevant technologies**
- **To provide a common platform for Power Sector Stakeholders for collective brainstorming, synergetic technology development and devise pathways for smooth transfer of technology**
- **To support pilot projects of indigenous technologies (developed especially by Indian Start-ups) and facilitate their commercialization**

❑ मिशन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- वैश्विक विद्युत क्षेत्र के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य की प्रासंगिकता के क्षेत्रों की पहचान करना और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी एंड-टू-एंड विकास करना
- विद्युत क्षेत्र के हितधारकों को सामूहिक विचार-मंथन, सहक्रियात्मक प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी के सुचारू हस्तांतरण के लिए रास्ते तैयार करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना।
- स्वदेशी प्रौद्योगिकियों (विशेष रूप से भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित) की पायलट परियोजनाओं का समर्थन करना और उनके व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाना
- उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में तेजी लाने और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों तक दक्षताओं, क्षमताओं और पहुंच का निर्माण करने के लिए विदेशी गठबंधनों और साझेदारियों का लाभ उठाना, जिससे जानकारी के आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा मिल सके।

- **To leverage foreign alliances and partnerships to accelerate research & development of advanced technologies and to build competencies, capabilities and access to advanced technologies through bilateral or multilateral collaborations, thereby facilitating exchange of knowhow and Technology Transfer.**
- **To seed, nurture and scale up scientific and industrial R&D and to create vibrant & innovative ecosystem in the Power Sector of the country**
- **To make our Nation among the leading Countries in Power System related Technologies & Applications development**

Areas Identified for Research

- **Alternatives to Lithium-Ion storage batteries**
- **Modifying electric cookers / pans to suit Indian cooking methods**
- **Green hydrogen for mobility (High Efficiency Fuel Cell)**

UPSC

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण, पोषण और विस्तार करना तथा देश के विद्‌युत क्षेत्र में जीवंत और नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- अपने राष्ट्र को विद्‌युत प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के विकास में अग्रणी देशों में शामिल करना
- अनुसंधान के लिए चिन्हित क्षेत्र
- लिथियम-आयन स्टोरेज बैटरियों के विकल्प
- भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर/पैन को संशोधित करना
- गतिशीलता के लिए हरित हाइड्रोजन (उच्च दक्षता ईंधन सेल)

UPSC

- **Carbon capture**
- **Geo-thermal energy**
- **Solid state refrigeration.**
- **INano technology for EV battery**
- **ndigenous CRGO technology**

UPSC

- कार्बन अवशोषण
- भू - तापीय ऊर्जा
- ठोस अवस्था प्रशीतन.
- ईवी बैटरियों के लिए नैनो तकनीक
- स्वदेशी सीआरजीओ तकनीक

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING